वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम– 704

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2897 दि. 17.03.16

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि कृषि श्रेणी में आवेदकों से नये कनेक्शन एवं अन्य कार्यों जैसे लोड बढ़ाना/घटाना, नाम परिवर्तन, रि–कनेक्शन आदि के लिये धरोहर राशि अलग–अलग ली जा रही है जो कि विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के अनुरूप सही नहीं है।

विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के प्रावधानों के अनुरूप नये कृषि कनेक्शन के समय प्रोविजनल धरोहर राशि 2 माह के स्थाई शुल्क के बराबर निर्धारित है जो वर्तमान में ब्लॉक सप्लाई के लिये 15 रू. प्रति एचपी प्रतिमाह एवं अन्य के लिये 30 रू. प्रति एचपी प्रतिमाह है। अतः यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में नये कृषि कनेक्शन एवं अन्य कार्यों जैसे लोड बढ़ाना/घटाना, नाम परिवर्तन, रि–कनेक्शन आदि के लिये प्रोविजनल धरोहर राशि, विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के प्रावधानों के अनुरूप ही वसूल की जावे।

सभी संबंधित उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(अशोक माथुर)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर